FORM No. III

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी श्रीकान्त व्यास आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर– 254/2025 राजस्व प्रार्थना पत्र

उनवान

1–गंगाराम पिता भैरू बैरवा निवासी बनेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
2– आशा पुत्री मांगी देवी बैरवा निवासी कोदूकोटा तहसील व जिला भीलवाड़ा
3– गोपाल पिता मोती बैरवा निवासी बनेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
4– घीसा पिता हीरा बैरवा निवासी बनेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा मृतक के बजाय–
4/1– नन्दलाल पिता घीसालाल बैरवा निवासी बनेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
4/2– गणेश पिता घीसालाल बैरवा निवासी बनेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
4/3– सायरीदेवी पुत्री घीसालाल बैरवा निवासी बनेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
5– चांदी पत्नि मोती बैरवा निवासी बनेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
6– तुलसीराम पुत्र मांगीदेवी बैरवा निवासी कोदूकोटा तहसील व जिला भीलवाड़ा
7– नारायण पिता भैरू बैरवा निवासी बनेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
8– बाबूलाल पुत्र मांगीदेवी बैरवा निवासी कोदूकोटा तहसील व जिला भीलवाड़ा
9– मदनलाल पिता मोतीलाल बैरवा निवासी बनेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
10– संतोष पुत्री भैरू बैरवा निवासी बनेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
11– सुनिता पुत्री मांगीदेवी बैरवा निवासी कोदूकोटा तहसील व जिला भीलवाड़ा
12– सोहनलाल पिता मोती बैरवा निवासी बनेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा —— **प्रार्थीगण**

बनाम

1– रामलाल पिता रूपा नायक निवासी सुल्तानगढ तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
2– देबी पिता भैरू नायक निवासी सुल्तानगढ तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
3– मांगू पिता भैरू नायक निवासी सुल्तानगढ तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
4– सुखा पिता गंगाराम नायक निवासी सुल्तानगढ तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
5– सायरी पत्नि रूपा नायक निवासी सुल्तानगढ तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
6– कानी पुत्री गणन्दा बैरवा निवासी सुल्तानगढ तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
7– देवीलाल पिता अणन्दा बैरवा निवासी सुल्तानगढ तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
8– धन्नी पुत्री अणन्दा बैरवा निवासी सुल्तानगढ तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
9– रामसुख पिता अणन्दा बैरवा निवासी सुल्तानगढ तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
10– बख्तावर पिता प्रताप बैरवा निवासी सुल्तानगढ तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
11–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब बनेड़ा जिला भीलवाड़ा ———**अप्रार्थीगण**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित– श्री प्रताप तेली (अधिवक्ता प्रार्थीगण)

निर्णय

दिनांक :– 11.06.2025

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज० भू० राज० अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि **ग्राम सुल्तानगढ पटवार हल्का सुल्तानगढ व भू.अ. निरीक्षक क्षैत्र सरदार नगर तहसील बनेड़ा की नकल जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 के नवीन खाता सं. 422 में दर्ज आराजी नम्बर 79 रकबा 2.1878 हैक्टर, व आ0नं0 80 रकबा 0.1770 हैक्टर** भूमि प्रार्थीगध्स के नाम संयुक्त खातेदारी से दर्ज है। वादग्रस्त आराजियात की भूमि के **अप्रार्थीगण** पडौसी है। **प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण** के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। इसलिए **प्रार्थीगण** अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहते हैं। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी हेतु सम्मन नोटिस जारी किया गया। चूंकि प्रकरण मात्र सीमा जानकारी/पत्थरगढी का होने से न्यायहित में

अधिवक्ता प्रार्थीगण की एक तरफा बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने राजस्व प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने हेतु निवेदन किया गया। पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबंदी का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण की ओर से वादवर्णित आराजीयात की सीमा जानकारी हेतु तहसीलदार बनेड़ा के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर सीमा जानकारी कर रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत की गई जो पत्रावली में संलग्न है जिसमें अंकित है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की उपस्थिति में सीमाज्ञान हेतु जरीब चलाने पर पक्षकारान के मध्य विवाद उत्पन्न हो गया जिससे सीमाज्ञान नहीं करवाया जा सकता। यह प्रार्थनापत्र पत्थरगढी हेतु प्रस्तुत किया है। **ग्राम सुल्तानगढ पटवार हल्का सुल्तानगढ व भू.अ.निरीक्षक क्षैत्र सरदार नगर तहसील बनेड़ा की नकल जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 के नवीन खाता सं. 422 में दर्ज आराजी नम्बर 79 रकबा 2.1878 हैक्टर, व आ0नं0 80 रकबा 0.1770 हैक्टर** भूमि प्रार्थीगण के नाम पर खातेदारी से दर्ज है। **प्रार्थीगण** अपने खाते की उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। इस आदेश से किसी भी पक्षकार का राजस्व अभिलेख में किसी प्रकार का हक व अधिकार तय नहीं होते है तथा किसी प्रकार का राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन भी नहीं किया जा सकता है। अतः नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर **प्रार्थीगण** का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से **प्रार्थीगण** का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझते है। अतएव–

// आदेश //

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा–111–128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर **ग्राम सुल्तानगढ पटवार हल्का सुल्तानगढ व भू.अ.निरीक्षक क्षैत्र सरदार नगर तहसील बनेड़ा की नकल जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 के नवीन खाता सं. 422 में दर्ज आराजी नम्बर 79 रकबा 2.1878 हैक्टर, व आ0नं0 80 रकबा 0.1770 हैक्टर** भूमि की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने के लिये **भू0अ0निरीक्षक सरदारनगर** को 3000/– **रूपये** कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर उभयपक्षकरान को विधिवत नोटिस तामिल करा उन्हें मौके पर उपस्थित रहने हेतु पाबंद करावे। कमिश्नर फीस प्रकरण मौके पर जमा करावें। पत्थरगढी करने के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि **प्रार्थीगण** की भूमि पर अन्य काश्तकार का या किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण विधिवत कब्जा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है। उक्त आदेश के तहत किसी प्रकार से राजस्व रेकार्ड में फेरबदल नहीं किया जावे। यदि प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी भूमि के संबंध में अन्य न्यायालयों में कार्यवाही विचाराधीन होने एंव स्थगन होने पर पत्थरगढी कार्य नही किया जावे। अतः **भू0अ0निरीक्षक सरदारनगर जो** कि उक्त प्रकरण में कमिश्नर है, मौके पर उपस्थित प्रार्थीगण व विपक्षीगण की उपस्थिति में पत्थरगढी की जाकर पर्चा मौका मय मानचित्र प्रस्तुत करे। पत्थरगढी किये जाने के लिये तहसीलदार बनेड़ा को पालना हेतु लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक **11–06–2025** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर कोर्ट मुख्यालय पर सुनाया गया।

(श्रीकान्त व्यास)
उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा